सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / प्रशासन / संस्थापन / 2026 / 936 दिनांक :- 25/8/26

–:: विज्ञप्ति ::–

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से विभाग में आवश्यकता रहने तक अथवा सत्रांत तक जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिए नितांत अस्थाई आधार पर शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग., सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन में विजिटिंग विद्वान की आवश्यकता है। आवेदन दिनांक 07.09.2026 समय अपरांन्ह 05.30 बजें तक संबंधित विभागाध्यक्ष / निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, परिसर कोठी रोड, उज्जैन को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदन के साथ रू. 500 / – अक्षरी रूपये पॉच सौ मात्र का आवेदन शुल्क डी.डी. जो कुलसचिव, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष में अनिवार्यतः प्रस्तुत करे।

विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साईट https://www.vikramuniv. ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

क्रं.	विषय	विभागीय आवश्यकता	अध्ययनशाला
1.	फीजिकल एज्यूकेशन	03	शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग

निदेशक / विभागाध्यक्ष,
सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

कुलसचिव
सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

Scanned with CamScanner

SAMRAT VIKRAMADITYA VISHVAVIDYALAYA, UJJAIN

APPLICATION

FOR CONSIDERATION AS VISITING VIDWAN SESSION 2026-27

1. Subject for which application is being submitted :

2. Name and Date of Birth:

3. Father's/Husband's Name:

4. Mailing/Postal Address:

5. Phone No./Mobile phone No. :

6. E-mail ID: Category:

7. Educational Qualification (From class X & onwards)

S.No.	Qualification	Year of passing	Pass % (Grade)	Board/ Universtiy	Institute/ College
1.	X Class				
2.	XII Class				
3	.Graduation				
4.	Post Graduation				
5.	M.Phill				
6.	Ph.D.				
7.	NET				
8.	SLET/SET				
9.	Experience				
10.	Others				

Scanned with CamScanner

8. Details of work experience (Designation, Employer, Duration etc)

(a)

(b)

(c)

(d)

kindly attach attested copies of experience certificates

9. Details of Research Publications :

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Kindly attach list of publications

10. Any other Relevant Information:

Place:

Date:

(Signature)

Name:

Address:

v page 2024/264

Scanned with CamScanner

सामान्य निर्देश

1. संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं म.प्र. शासन अनुसार रहेगी।
2. विजिटिंग विद्वान किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे।
3. विजिटिंग विद्वानों का आमंत्रण पाठ्यक्रम में आवश्यकता रहने तक अथवा संत्रात तक जो भी पूर्ववर्ती हो, अवधि के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
4. विजिटिंग विद्वानों के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए विजिटिंग विद्वान को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसको व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
5. विजिटिंग विद्वान एक साथ दो शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
6. इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अध्याधीन होगी।
7. किसी भी स्थिति में नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण विंजिटिंग विद्वान को कार्यरत नहीं रखा जाएगा।

अर्हता मानदण्ड :

चयन वरीयता का श्रेणी क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. संबंधित विषय में पीएच.डी. अथवा नेट/सेट

8. अनुभव हेतु अंक :– विजिटिंग विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंको को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक आवेदक विजिटिंग विद्वान द्वारा आवेदन के समय किये जाएंगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर कार्यारंभ नहीं कराया जाएगा। विजिटिंग/अतिथि विद्वानों के पुनः आमंत्रण की स्थिति में एक अकादमिक सत्र में निम्नानुसार अंको का अधिभार देय होगा जो अधिकतम 05 वर्षों के अध्यापन अनुभव तक देय होगा :–

स.क्रं.	कार्य दिवस	अनुभव के अंक
01.	150 से अधिक दिवस	04
02.	120 से 149 दिवस	03
03.	90 से 119 दिवस	02
04.	01 से 89 दिवस	01

निरंतर...02.....

Scanned with CamScanner

9. समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोडकर) तथा EWS वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा–निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। समस्त वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा।

10. मेरिट अंको की गणना विजिटिंग विद्वानों की भर्ती हेतु उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुसार रहेगा।

11. वरीयता का निर्धारण : सर्वप्रथम बिन्दु 7 के अनुसार चयन श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात श्रेणी 1 के विजिटिंग विद्वान को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले विजिटिंग विद्वान को वरीयता दी जाएगी। मेरिट का निर्धारण 100 अकों से होगा।

12. विजिटिंग विद्वानों की आमंत्रण पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।

13. मानदेय 2,000/– प्रति कार्य दिवस रहेगा, साथ ही अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये प्रतिदिवस 07 घंटे विभाग में उपस्थित रहना होगा।

14. विश्वविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत विजिटिंग विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा।

15. विजिटिंग विद्वान को सतत अनुशासन बनाए रखना होगा तथा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16. विजिटिंग विद्वानो द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन–पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों की विभिन्न विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अर्जित अंको विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन एवं विभाग प्रमुख के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

17. अध्ययनशाला में आमंत्रित विजिटिंग विद्वानों के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके। दायित्व के कार्यमुक्त होने पर सत्रांत में समसत दस्तावेज विभागाध्यक्ष को सौंपेगे तत्पश्चात अंतिम वेतन आहरित किया जाएगा।

18. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ विभाग प्रमुख के निर्देशानुसार प्रशासकीय कार्य, अकादमिक एवं पाठ्येत्तरकार्यो तथा प्रवेश, परीक्षा छात्रों से संबंधित कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव आदि में विजिटिंग विद्वान सहयोग प्रदान करेंगे।

निरंतर...

Scanned with CamScanner

19. अध्यापन कार्य करने वाले एवं एक कालांश से अधिक विजिटिंग विद्वानों को विभाग में प्रतिदिवस न्यूनतम 7 घण्टे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 42 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। विजिटिंग विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 18 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है। विभागाध्यक्ष द्वारा विजिटिंग विद्वानों की कक्षाओं/कार्यो की समय सारणी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

Scanned with CamScanner